न्यायालय अवर न्यायाधीश, द्वितीय
सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0–373 सन् 2015

दामोदर सिंह.....वादी

बनाम
जय दयाल राय वगैरह.....प्रतिवादी।

दिनांक–23.05.2025

उभय पक्ष की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख वादी की ओर से आवेदन दिनांक– 06.02.2025 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

प्रतिवादी का आवेदन में कथन है कि उक्त वाद में प्रतिवादीगण की ओर से दिनांक–16.07.2019 को लिस्ट डॉकुमेंट के साथ कुछ कागजात जैसे न्यायालय की आदेश सच्ची प्रतिलिपि दाखिल है। न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी सोनपुर द्वारा धारा 144 द0 प्र0 सं0 के आदेश दिनांक–12.06.2015 एवं 25.10.2017 की सच्ची प्रतिलिपि जो लोक दस्तावेज की श्रेणी में आता है जिसे प्रदर्श होना न्यायहीत में आवश्यक है। उक्त दोनों आदेश की सच्ची प्रतिलिपि को प्रदर्श करने की अनुमति प्रदान करते हुए प्रदर्श करने की कृपा किया जाय। अतः श्रीमान से निवेदन है कि उक्त दोनों आदेश अन्दर दफा–144 द0 प्र0 सं0 दिनांक–12.06.2015 एवं 25.10.2017 की सच्ची प्रतिलिपि को प्रदर्श करने की कृपा किया जाय की न्याय हो सकें।

वादी की ओर से उक्त आवेदन का प्रतिउत्तर दिनांक 28.03.2025 को प्रतिउत्तर दाखिल कर विरोध किया गया है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी अनुमंडल दण्डाधिकारी सोनपुर द्वारा धारा 144 द0 प्र0 सं0 के आदेश दिनांक–12.06.2015 एवं 25.10.2017 की सच्ची प्रतिलिपि को प्रदर्श अंकित करने हेतु आवेदन दाखिल किया है। उक्त दस्तावेज की सच्ची प्रतिलिपि लोक दस्तावेज की श्रेणी में आता है। अतः प्रतिवादी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 06.02.2025 को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। वाद दिनांक.....को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

सब जज, द्वितीय
सोनपुर, सारण।